मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)

उनवान

1. रामनारायण पिता भंवरलाल जाति तंवर (लोढ़ा) निवासी पीथापुर तहसील मनोहरथाना
2. बीरम पिता भंवरलाल जाति तंवर (लोढ़ा) निवासी पीथापुर तहसील मनोहरथाना
3. केसरबाई पुत्री भंवरलाल जाति तंवर (लोढ़ा) निवासी पीथापुर तहसील मनोहरथाना
4. हजारीलाल पिता लालजी जाति तंवर (लोढ़ा) निवासी पीथापुर तहसील मनोहरथाना

.....वादी गण

बनाम

1. ओंकार पिता गणेश जाति तंवर (लोढ़ा) निवासी पीथापुर तहसील मनोहरथाना
2. रामचंद्र पिता गणेश जाति तंवर (लोढ़ा) निवासी पीथापुर तहसील मनोहरथाना
3. दोली पुत्री गणेश जाति तंवर (लोढ़ा) निवासी पीथापुर तहसील मनोहरथाना
4. कस्तूरी पुत्री गणेश जाति तंवर (लोढ़ा) निवासी पीथापुर तहसील मनोहरथाना
5. नंदूबाई पत्नी गणेश जाति तंवर (लोढ़ा) निवासी पीथापुर तहसील मनोहरथाना
6. भूमि विकास बैंक शाखा अकलेरा जरिए शाखा प्रबंधक
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 एवं धारा 136 भूराजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

मुकदमा नं0 :– 1408 / दावा / 15 तारीख दायरा :– 10.09.2015

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ पीठासीन अधिकारीः– पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री केसरी सिंह पुष्पद, अधिवक्ता मिन जानिब मुदई रूबरू श्री रामनारायण वगै0 मिन जानिब मुददायल रूबरू ..... पेश होकर आदेश दिया जाता है कि :– वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। वादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी विश्वसनीय दस्तावेज पेश करने में विफल रहे है, जिससे सिद्ध हो कि रत्ता ने अपनी मृत्यु से पूर्व लालजी को संपत्ति में कोई हिस्सा दिया था या सेटलमेंट के दौरान कोई त्रुटि हुई थी। चूंकि केवल मौखिक कथनों के आधार पर 40 वर्ष पुराने पक्के राजस्व रिकॉर्ड को पलटा नही जा सकता। अतः वाद वादीगण आधारहीन होने और अत्यधिक विलंब से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 15.01.2026 को न्यायालय की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मनोहरथाना
जिला झालावाड

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी: पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)

उनवान

भंवरलाल बनाम ओंकार लाल

प्रकरण संख्या :-16/14

1. रामनारायण पिता भंवरलाल जाति तंवर (लोढ़ा)निवासी पीथापुर तहसील मनोहरथाना
2.बीरम पिता भंवरलाल जाति तंवर (लोढ़ा)निवासी पीथापुर तहसील मनोहरथाना
3.केसरबाई पुत्री भंवरलाल जाति तंवर (लोढ़ा)निवासी पीथापुर तहसील मनोहरथाना
4.हजारीलाल पिता लालजी जाति तंवर(लोढ़ा) निवासी पीथापुर तहसील मनोहरथाना

..... वादी

1 ओंकार पिता गणेश जाति तंवर (लोढ़ा)निवासी पीथापुर तहसील मनोहरथाना
2.रामचंद्र पिता गणेश जाति तंवर (लोढ़ा)निवासी पीथापुर तहसील मनोहरथाना
3.दोली पुत्री गणेश जाति तंवर (लोढ़ा)निवासी पीथापुर तहसील मनोहरथाना
4.कस्तूरी पुत्री गणेश जाति तंवर (लोढ़ा)निवासी पीथापुर तहसील मनोहरथाना
5. नंदूबाई पत्नी गणेश जाति तंवर (लोढ़ा)निवासी पीथापुर तहसील मनोहरथाना
6. भूमि विकास बैंक शाखा अकलेरा जरिए शाखा प्रबंधक
7.. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना

..... प्रतिवादी गण

विषय: दावा अंतर्गत धारा 88,89,91,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 l

-:निर्णय:-

दिनाँक:- 15.01.2026

उपस्थित
श्री केशरी सिंह पुष्पद,अधिवक्ता वादी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

वादी द्वारा एक वाद जरिये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 20.03.2014 को अंतर्गत धारा 88,89,91,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया गया है। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:-

ग्राम पीथापुर तहसील मनोहरथाना के माल में खाता नंबर 32 की खसरा नंबर 117/4 की एक बीघा तीन विस्वा खसरा नंबर 123/9 की 6 बीघा 7 विस्वा 257/ 9/11 की एक बीघा 10 विस्वा खसरा नंबर 309/9 की 11 विस्वा खसरा नंबर 167/19 की एक बीघा 18 विस्वा खसरा नंबर 332/9 की 8 विस्वा खसरा नंबर 307/ 9/11 की एक बीघा, 366/11 की 2 बीघा5 विस्वा आरजी कुल 22 बीघा 7 विस्वा मृतक रत्ता पुत्र हीरा के खाते दर्ज है जिसकी नकल जमाबंदी संवत 2000-2002 पेश की है।

ग्राम पीथापुर तहसील मनोहरथाना की माल की उक्त आरजी के सेटलमेंट विभाग ने पुराने नंबर के नए नंबर खसरा नंबर 11 की एक बीघा 5 विस्वा खसरा नंबर 26 की एक बिस्वा खसरा नंबर 27 की एक बीघा 16 विस्वा खसरा नंबर 102 की 12 विस्वा खसरा नंबर 106 की 5 बीघा एक बिस्वा खसरा नंबर 115 की एक बीघा 14 विस्वा खसरा नंबर 320 की एक बीघा खसरा नंबर 321 की 6 बीघा का 18 विस्वा खसरा नंबर 412 की तीन बीघा 18 विस्वा नए नंबर बनाए।

सेटलमेंट विभाग ने नई जमाबंदी बनाते समय सहवन से मृतक रत्ता पुत्र हीरा की बजाय एकमात्र पुत्र गणेश पुत्र रत्ता का नाम दर्ज कर दिया । इसमें गणेश के भाई लालजी पुत्र रत्ता का नाम दर्ज होना चाहिए था। वादी ने वाद पत्र की मद संख्या चार में खानदानी सजरा भी पेश किया है। खातेदार गणेश पुत्र रत्ता फ़ौत हो चुका है उसके वारिसान प्रतिवादी गण एक लगायत पांच है । मृतक रता के फ़ौत होने पर उसके दो पुत्र मृतक भंवरलाल व मृतक गणेश है जो मृतक रता के सगे लड़के हैं लेकिन सेटलमेंट विभाग ने गलती से लाल जी का नाम न दर्ज कर केवल गणेश का नाम दर्ज कर दिया है जो काबिल दुरुस्ती है। मृतक रत्ता पुत्र हीरा के फ़ौत होने पर संपूर्ण आरजी के 1/2 हिस्से पर मृतक लालजी के पुत्र वादी का1/2 हिस्से पर कब्जा चल रहा है तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी गण का कब्जा चला आ रहा है। उक्त आरजी के 1/2हिस्से पर वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है। इस प्रकार वादीगण ने अपने आप को वादग्रस्त आरजी के 1/2 हिस्से पर खातेदार

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

काश्तकार घोषित किए जाने राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किए जाने तथा खाता पृथक किया जाकर कब्जा भूमि संभालाये जाने का निवेदन किया है। वादी ने वादपत्र के साथ शपथपत्र,मिलान क्षेत्रफल संवत 2019-2039 मौजा पीथापुरा, जमाबंदी सेटेलमेंट, जमाबंदी संवत 2058-2061,जमाबंदी संवत 2066-2069 जमाबंदी संवत 2023-26 पेश किये है।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादिगण की तलबी की गई प्रतिवादी संख्या एक लगायत पांच की ओर से श्री कैलाश चंद्र वैष्णव अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया प्रतिवादी 6 एवं 7 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लाई गई। प्रतिवादी एक लगायत पांच द्वारा कई अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण जवाब बंद किया गया इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जा सकी। वादी ने अपनी साक्ष्य मे दावे के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र को ही साक्ष्य के रूप में पढ़े जाने की प्रार्थना की। दौराने बहस अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में लिखे गए कथनों को ही दोहराया गया तथा उसी के अनुसार वादी का दावा डिक्री किए जाने की प्रार्थना की ।

हमने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का गौर पूर्वक अध्ययन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गहन अवलोकन किया तथा इस वाद पत्र के सन्दर्भ में तथ्यों एवं विधिक प्रावधानो पर मनन किया। वादी द्वारा अंतर्गत धारा 88,89,91,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया गया है।.

विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के आलोक में न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचता है:

वादी यह साबित करने का भार (Burden of Proof) वहन करने में विफल रहा है कि विवादित आराजी रत्ता पुत्र हीरा के हाथों में "पैतृक संपत्ति" (Ancestral Property) थी जिसे वे वसीयत करने के लिए बाध्य थे। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त आराजी रत्ता की "स्वअर्जित संपत्ति" (Self-Acquired Property) थी। विधि के अनुसार, स्वअर्जित संपत्ति का स्वामी उसे अपनी इच्छानुसार व्ययन करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है। केवल पिता का पुत्र होने मात्र से किसी स्वअर्जित संपत्ति में स्वतः अधिकार उत्पन्न नहीं हो जाता जब तक कि यह सिद्ध न हो कि वह अविभाजित हिंदू परिवार (HUF) की संपत्ति थी। वादी ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं कर

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

सका।

प्रकरण में यह निर्विवाद है कि गणेश और लालजी दोनों सगे भाई थे और एक ही गांव में निवास करते थे। ऐसी परिस्थिति में, यह नहीं माना जा सकता कि लालजी या उनके वारिसान (वादीगण) को गणेश के पक्ष में हुए राजस्व इंद्राजों (Revenue Entries) की जानकारी नहीं थी। जानकारी होने के बावजूद, वादीगण ने लगभग 30 वर्ष के अत्यधिक विलंब के बाद यह वाद दायर किया है। कानूनन, इतने लंबे अंतराल के बाद राजस्व प्रविष्टियों को चुनौती देना "विधिक बाधा" (Barred by Limitation) के अंतर्गत आता है। वादीगण ने इस "असाधारण विलंब" (Exception Delay) का कोई उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। जागृत अधिकारों की रक्षा के लिए कानून सहायता करता है, न कि सुप्त अधिकारों के लिए।

वादी पक्ष न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी विश्वसनीय दस्तावेज (जैसे- वसीयत, बंटवारानामा या तत्कालीन आपत्ति पत्र) पेश करने में विफल रहा है जो यह साबित करे कि रत्ता ने अपनी मृत्यु से पूर्व लालजी को संपत्ति में कोई हिस्सा दिया था या सेटलमेंट के दौरान कोई त्रुटि हुई थी। केवल मौखिक कथनों के आधार पर 40 वर्ष पुराने पक्के राजस्व रिकॉर्ड को पलटा नहीं जा सकता।

-:आदेश:-

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादीगण अपना दावा सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। वाद आधारहीन होने और अत्यधिक विलंब (Limitation) से बाधित होने के कारण खारिज (Dismiss) किया जाता है।स्थगन आदेश यदि कोई हो तो समाप्त समझा जावे। डिक्री पर्चा तदनुसार बनाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे द्वारा लिखवाया गया तथा न्यायालय की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया

पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना